मिशन निदेशक महोदया, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के निर्देशों के कम में राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से 02 सदस्यीय टीम श्री अभिषेक यादव, कन्सल्टेंट, नेशनल प्रोग्राम एवं श्री दिनेश पाल सिंह कार्यक्रम समन्वयक, ई.एम.टी.एस. द्वारा जनपद आगरा की स्वास्थ्य इकाइयों का प्री सी.आर.एम. भ्रमण दिनांक 21.10.2024 से 25.10.2024 के मध्य किया गया है। भ्रमण आख्या निम्नलिखित है–

1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौली अहीर–

- मेड रोड से सी.एच.सी. तक जाने लिए ग्लो साइनेज नहीं पाया गया। यथोचित कार्यवाही का सुझाव दिया गया।
- सी.एच.सी. परिसर में पुरानी आई.ई.सी. डिस्प्ले पायी गयी जिसे अद्यतन कराने का सुझाव दिया गया।
- अस्पताल में कक्षों में चिन्हांकन एवं नाम प्रदर्शित नहीं पाये गये। कक्षों में विवरण लिखे जाने का सुझाव दिया गया।
- ग्राउण्ड फ्लोर में 5 स्टोर रुम पाये गये जिन पर ताले लगे पाये गये। आवश्यकतानुसार स्टोर के रुप में कक्षों का उपयोग कराये जाने सुझाव दिया गया।
- डिजिटल एक्सरे मशीन कियाशील पायी गयी किन्तु उपयोग हेतु फिल्म पर्याप्त नहीं पायी गयी।
- माइनर ओटी में 2 ऑक्सीजन सिलिंडर पाये गये जिनकी चाबी उपलब्ध नहीं पायी गयी। चाबी निर्धारित स्थान पर रखे जाने का सुझाव दिया गया।
- माइनर ओटी में उपकरण ट्रे स्टरलाइज नहीं पाया गया।
- माइनर ओटी पंखा नहीं पाया गया एवं लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पायी गयी।
- माइनर ओटी में बेड पर धूल जमी पायी गयी एवं गन्दगी पायी गयी।
- रजिस्ट्रेशन काउन्टर अस्त–व्यस्त पाया गया। व्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- फार्मेसी अस्त–व्यस्त पायी गयी। मेन स्टोर से खारिज करने के उपरांत दवाओं का कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।
- टी.बी. कक्ष में उपलब्ध राजिस्टर प्रमाणित नहीं पाये गये। समस्त अभिलेख प्रमाणित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में हेपेटाइटिस बी एवं सी के पाजिटिव मरीजों का जांच रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। समस्त अभिलेख तैयार कराये जाने एवं प्रमाणित कराने का सुझाव दिया गया।
- टीबी जांच कक्ष अस्त–व्यस्त पाया गया। व्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में ब्लड कलेक्शन एरिया को निर्धारित किया गया था, एवं समस्त जाचों की सूची कक्ष की बाहर डिस्प्ले नहीं पायी गयी। आवश्यक कार्यवाही का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम में एरिया डिमारकेशन नहीं था, शू रैक नहीं पाये गये।

- लेबर रुम के बाहर दीवार लेखन में गर्भवती महिलाओं को लाने के लिए 108 वाहन का उल्लेख था किन्तु 102 एम्बुलेंस का उल्लेख नहीं पाया गया। सुधार कराने का सुझाव दिया।
- आई.ई.सी पुरानी पायी गयी।
- सपोर्टिव सुपरविजन एवं आर.बी.एस.के. के वाहनों के लॉगबुक अवलोकन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये।
- बायोवेस्ट का सेग्रीगेशन एवं निरत्तारण समुचित नहीं कराया जा रहा है।
- सी.एच.सी. में अनुपयोगी सामग्री बाहर अस्त–व्यस्त पायी गयी। व्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- सी.एच.सी परिसर में विद्युत तार अव्यवस्थित पाये गये एवं फायर इस्गिविसर एक्सपायर्ड पाये गये। सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव दिया गया।
- ई.डी.एल. की सूची अद्यतन नहीं पायी गयी।
- डेगू वार्ड अस्त–व्यस्त पाया गया।
- आयोजित सी.एच.ओ. बैठक में कि पी.बी.आई. की माह सितम्बर का भुगतान नहीं हुआ है एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बाउण्ड्री वाल नही है। समुचित कार्यवाही का सुझाव दिया गया।
- चिकित्सालय में उपलब्ध अभिलेखों को प्रमाणित एवं पेज नम्बरिंग नहीं किया जाना पाया गया। सुव्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- चिकित्सालय में गाइडलाइन/शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 102 एवं 108 एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को प्रदान की गयी सेवाओं से सम्बन्धित होम टू हॉस्पिटल एवं ड्रापबेक रजिस्टर तैयार नहीं किये जा रहे है। गाइडलाइन/शासनादेश के अनुसार अभिलेख तैयार कराने का सुझाव दिया गया।

त्रुटिपूर्ण आई.ई.सी.

लैब में अरत–व्यरत जांच सामग्री

2. **जिला अस्पताल आगरा–**

- रजिस्टेशन काउण्टर का प्रबंधन नहीं पाया गया।
- समस्त अस्पताल परिसर गन्दा पाया गया। समुचित सफाई एवं व्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया। अधिकांश उपकरणों एवं फर्नीचर में जंग लगा हुआ पाया गया। चिकित्सालाय परिसर में अधिकांश खिडकियां टूटी पायी गयी।
- कुछ वार्ड में मरीजों के लिए आक्सीजन सप्लाई समुचित नहीं पायी गयी।
- सिटीजन चार्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।
- मुख्य द्वार पर ग्लो साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है।
- फायर साइनेज गलत दिशा में लगा हुआ है।
- अग्निशमन व्यवस्था क्रियाशील नहीं पायी गयी।
- परिसर में पार्किग अव्यस्थित पायी गयी।
- प्रतीक्षालय हाल में टूटी कुर्सिया बिखरी पायी गयी।
- अस्पताल परिसर में ओपन हैंगिग विद्युत वायर तथा विद्युत बोर्ड टूटे पाये गये।
- ओपीडी एवं जांच कक्षों में मरीजों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगो हेतु लाइन को व्यवस्थित कराने का प्रबन्धन नहीं पाया गया।
- डायलिसिस यूनिट अत्यंत गन्दा पाया गया। शौचालय अत्यंत गन्दे एवं बायोवेस्ट प्रबन्धन नही पाया गया। सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- हेपेटाइटिस सी हेतु आरक्षित डायलिसिस मशीन के साथ सिरिंज को दवा भरकर खुले में रखा गया था जबकि मरीज की उपस्थिति में ही सिरिंज के माध्यम से दवा का उपयोग किया जाना है।
- ब्लड स्टारेज रेफ्रीजरेटर में रैबीज वैक्सीन को स्टोर किया जाना पाया गया। नियमनुसार वैक्सीन का रखरखाव कराये जान का सुझाव दिया गया।
- ब्लड बैंक में ब्लड स्टोरेज बैग को अस्त–व्यस्त खुला फेका हुआ पाया गया। नियमानुसार रखरखाव का सुझाव दिया गया।
- अस्पताल के फार्मेसी स्टोर से दवा वितरण कक्ष से मरीजों को वितरित जाने वाली दवाओं का कोई अभिलेख नहीं पाया गया।
- चिकित्सालय में उपलब्ध अभिलेखों को प्रमाणित एवं पेज नम्बरिंग नहीं किया जाना पाया गया। सुव्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- चिकित्सालय में गाइडलाइन/शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 108 एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को प्रदान की गयी सेवाओं से सम्बन्धित होम टू हॉस्पिटल रजिस्टर तैयार नहीं

किये जा रहे है। गाइडलाइन/शासनादेश के अनुसार अभिलेख तैयार कराने का सुझाव दिया गया।

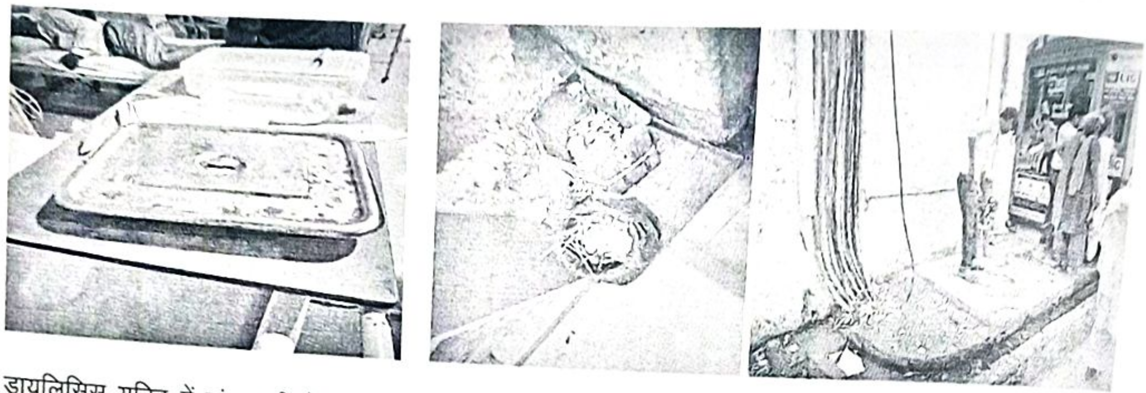

डायलिसिस यूनिट में जंग लगी ट्रे, डायलिसिस यूनिट में फेंका हुआ बायो वेस्ट एवं पेयजल व्यवस्था के पास गंदगी

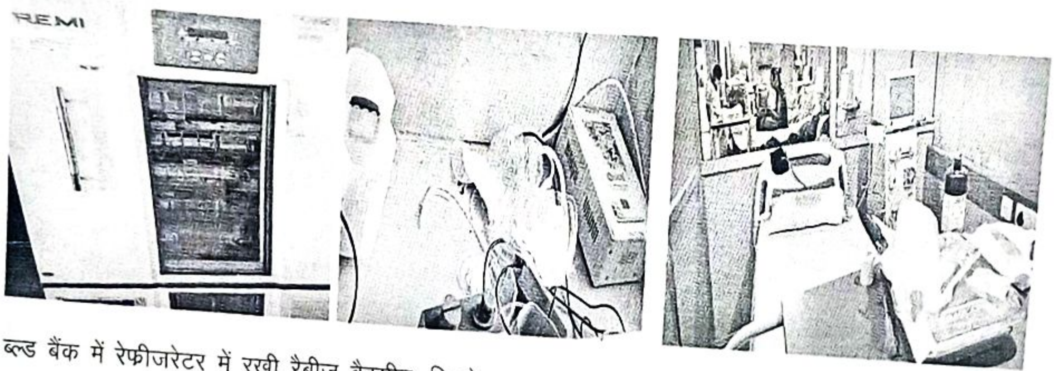

ब्लड बैंक में रेफ्रीजरेटर में रखी रैबीज वैक्सीन, बिखरे हुए ब्लड स्टोरेज बैग, डायलिसिस यूनिट में ओपन सिरिंज

3. **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाह–**

- अस्पताल परिसर में लेबर रुम तक जाने का साइजेज उपलब्ध नहीं पाया गया।
- लेबर रुम में फ्रिज में वैक्सीन रखी पायी गयी, वैक्सीन सेकन्ड स्टेज में थी। वैक्सीन को कैरियर में आइस पैक के साथ रखे जाने का सुझाव दिया गया।
- केस शीट अधूरी भरी पायी गयी। केस शीट को सही एवं पूर्ण भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रजिस्टर एवं भोजन रजिस्टर में विवरण में कटिंग पायी गयी जिसे सही दर्ज कराने का सुझाव दिया गया।
- कैलिस पैड पंचर पाये गये एवं जंक लगे डिलीवरी टेबल पाये गये।
- लेबर रुम की खिडकी टूटी पायी गयी।
- लेबर रुम में दरवाजे में जंग लगा हुआ था एवं गन्दा पाया गया।

- लेबर रुम के साथ स्टोर में दवाइयों एवं रिकार्ड का रखरखाव अव्यवस्थित पाया गया
- एन0बी0एस0यू0 कियाशील नहीं पाया गया।
- 7 ट्रे उपलब्ध पाया गया किन्तु उपकरण स्टरलाईज नहीं पाये गये एवं इसका रजिस्टर भी नही पाया गया।
- ब्लीचिंग सल्यूशन बना पाया गया किन्तु उसका रिकार्ड तैयार नहीं किया जा रहा है।
- अल्टसाउण्ड की सुविधा पी.पी.पी. मोड पर उपलब्ध है किन्तु उसके अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया। अल्टसाउण्ड मशीन उपलब्ध है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट न हाने के कराण कियाशील नही है।
- अस्पताल के फार्मेसी स्टोर से दवा वितरण कक्ष से मरीजों को वितरित जाने वाली दवाओं का कोई अभिलेख नहीं पाया गया।
- चिकित्सालय में उपलब्ध अभिलेखों को प्रमाणित एवं पेज नम्बरिंग नहीं किया जाना पाया गया। सुव्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- चिकित्सालय में गाइडलाइन/शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 102 एवं 108 एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को प्रदान की गयी सेदाओं से सम्बन्धित होम टू हॉस्पिटल एवं ड्रापबेक रजिस्टर तैयार नहीं किये जा रहे है। गाइडलाइन/शासनादेश के अनुसार अभिलेख तैयार कराने का सुझाव दिया गया।

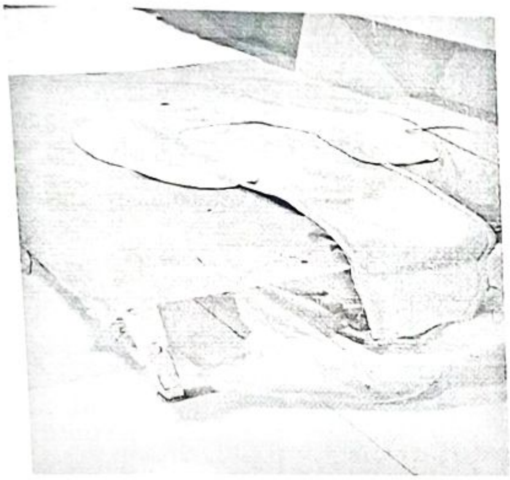

लेबर रुम में पंचर कैलिस पैड,

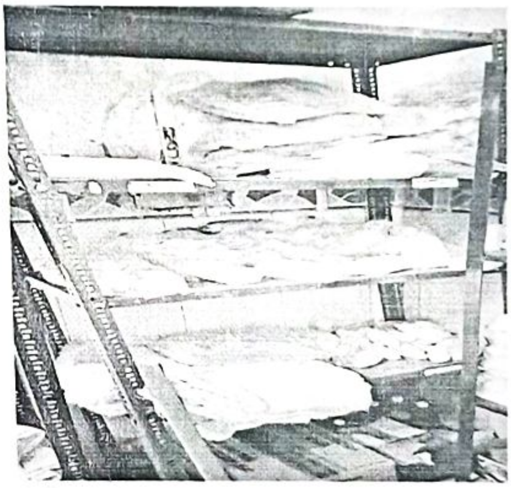

लेबर रुम में अस्त–व्यस्त सामग्री

4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतपुर कलां–

- बायो–केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन लैब में रखी पायी गयी जिसे इन्स्टालेशन नहीं किया गया है जिससे मरीजों की जांच प्रभावित हो रही है।
- टीबी जांच हेतु एम.टी.बी. चिप पर्याप्त मात्रा में उपलब नहीं पायी गयी।
- सभी चिन्हित टी.बी. रोगियों का नैट जांच नहीं कराया जा रहा है साथ ही लैब रजिस्टर में जांच किये गये रोगियों का परिणाम में त्रुटि अंकित पायी गयी।
- सभी टी.बी. मरीजों के ड्रग बाक्स नहीं बनाये गये हैं।
- गाइडलाइन के अनुसार बायो वेस्ट का समुचित निस्तारण नहीं किया जाना पाया गया।
- एक्स रे मशीन क्रियाशील नहीं पायी गयी। अवगत कराया गया कि एक्सरे टेक्नीशियन न होने से क्रियाशील नहीं है।
- लेबर रुम में सिर्फ 01 स्टाफ नर्स तैनात है जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है।
- जे.एस.एस.के के अर्न्तगत भोजन रजिस्टर अधूरा पाया गया।
- बी.एच.टी (केस शीट) अधूरी भरी जा रही है। रोगी के हस्ताक्षर तो कराये जा रहे है किन्तु कोई टिप्पणी नहीं दर्ज की जा रही है अर्थात् खाली पेज में हस्ताक्षर कराये जा रहे है।
- एच.आर.पी. रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया।
- अर.सी.एच. रजिस्टर सही तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा हैं। निर्धारित कॉलम में अपेक्षित सूचनाएं दर्ज नहीं पायी गयीं। आर.सी.एच. नम्बर, बैंक डिटेल आदि सूचनाएं दर्ज नहीं पायी गयी।
- चिकित्सालय में उपलब्ध अभिलेखों को प्रमाणित एवं पेज नम्बरिंग नहीं किया जाना पाया गया। सुव्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- सी.एच.सी. में प्रतिमाह औसतन 160 प्रसव कराये जा रहे हैं किन्तु किसी भी महिला चिकित्सा की तैनाती नहीं की गयी है एंव ऑन कॉल पर भी किसी चिकित्सक की सेवाएं नहीं ली जा रही है।
- पी.एम.एस.ए में गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउण्ड हेतु कोई रिकार्ड तैयार नहीं किया जा रहा है।
- आर.बी.एस.के. टीम में 02 वाहन अनुबन्धित किये गये हैं एवं आर.बी.एस.के अन्तर्गत 03 आयूष चिकित्सक कार्यरत हैं किन्तु 01 ए.एन.एम. एवं 01 ऑप्ट्रोमेट्रिस्ट की तैनाती होने के कारण टीम द्वारा एक ही टीम के रुप मे भ्रमण किया जा रहा है।
- अस्पताल के फार्मेसी स्टोर से दवा वितरण कक्ष से मरीजों को वितरित जाने वाली दवाओं का कोई अभिलेख नहीं पाया गया।

- चिकित्सालय में गाइडलाइन/शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 102 एवं 108 एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को प्रदान की गयी सेवाओं से सम्बन्धित होम टू हॉस्पिटल एवं ड्रापबेक रजिस्टर तैयार नहीं किये जा रहे है। गाइडलाइन/शासनादेश के अनुसार अभिलेख तैयार कराने का सुझाव दिया गया।

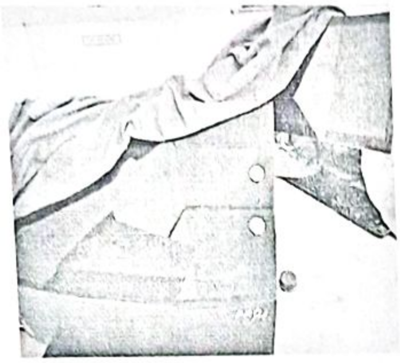

सी.एच.सी. लैब में रखा हुआ अन स्टाल बायो केमिस्ट्री एनालाइजर एवं पुरानी प्रदर्शित आई.ई.सी.

5. आयुष्मान आरोग्य मंदिर, (AAM) कमतरी, जैतपुर कलां–

- सी.एच.ओ. धमेन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि बारिश के दौरान अस्पताल भवन की छत से पानी आ जाता है जिससे भवन की रखी गये रिकार्ड एवं दवाये खराब हुई है।
- एक आटो क्लेव मशीन अस्पताल में पायी गयी जिसको रखे जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर,में प्रसव सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही है।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर, भवन की बाउण्ड्री नहीं करायी गयी है। कमरे मे सीलन एवं गन्दगी पायी गयी जिसकी पुताई कराने का सुझाव दिया गया। सी.एच.ओ. द्वारा अवगत कराया गया कि 200–300 रुपये भी यदि किसी मजदूर को साफ–सफाई हेतु भुगतान किया जाता है, तो ब्लॉक एकाउंट मैनेजर द्वारा जी.एस.टी. बिल की मांग की जाती है जिससे भवन की पुताई एवं सफाई का कार्य बाधित हैं। इस सम्बन्ध में तत्काल बी.पी.एम. को अवगत कराया गया एवं समस्या का निस्तारण कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- सी.एच.ओ. द्वारा अवगत कराया गया कि दोनो बी0पी0 मशीन (ऑटोमेटिक एवं मैनुवल) खराब हैं। उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।

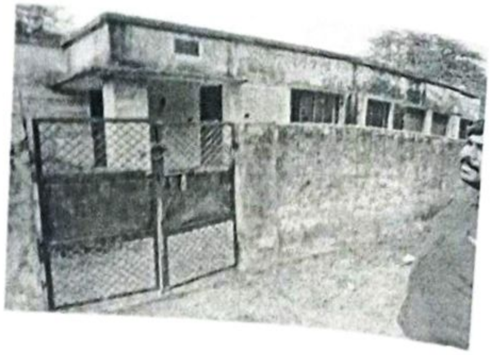

आयुष्मान आरोग्य मंदिर भवन एवं बगल में स्थित उपकेन्द्र भवन.

6. **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (AAM) चौरंगा, जैतपुर कलां–**

- चिकित्सालय में औसतन प्रतिमाह 50 प्रसव तैनात ए.एन.एम. द्वारा कराये जा रहे हैं किन्तु किसी चिकित्सक की तैनाती नही है। मात्र 01 फार्मासिस्ट एवं 01 एन.टी. तैनात हैं।
- प्रसव कक्ष एवं जांच प्रयोगशाला चिकित्सालय के प्रथम तल पर स्थापित की गयी हैं जिससे गर्भवती महिलाओं को सीढियों के माध्यम से प्रथम तल तक ले जाया जाता है। प्रथम तल पर जाने हेतु चिकित्सालय में स्लोप भी उपलब्ध नहीं हैं जिससे मरीजों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड रहा है।
- लेबर रुम में निर्धारित ट्रे ,ऑक्सीजन सिलिंडर एवं रेडियंट वार्मर उपलब्ध नहीं पाये गये।
- लेबर रुम में टेबल आदि में जंग लगा पाया गया। पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं पायी गयी। आवश्यक कार्यवाही का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम से सम्बन्धित लेबर रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर आदि निर्धारित प्रारुप में नहीं तैयार किये जा रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार समस्त अभिलेख तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- प्रसव के उपरांत नवजात को 0 डोज नहीं लगाया जा रहा है। ए.एन.एम. द्वारा अवगत कराया गया कि नवजात को वी.एच.एन.डी. के दौरान टीकाकरण किया जाता है किन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता है।
- लैब में सेल काउण्टर मशीन रखी गयी है जिसे इन्स्टॉल नहीं किया गया है। क्रियाशील कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- दवा वितरण एवं स्टोर मे दवाओं का रख–रखाव अव्यवस्थित पाये गये। सुव्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- बायो वेस्ट का नियमानुसार प्रबंधन किया जाना नहीं पाया गया।
- बाउण्ड्री वाल टूटी पायी गयी एवं चिकित्सालय का बोर्ड भी जंग लगा हुआ पाया गया।

- चिकित्सालय की ब्रांडिग नहीं पायी गयी।
- खुले विद्युत तार पाये गये जिन्हें व्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- चिकित्सालय में गाइडलाइन/शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 102 एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को प्रदान की गयी सेवाओं से सम्बन्धित होम टू हॉस्पिटल एवं ड्रापबेक रजिस्टर तैयार नहीं किये जा रहे है। गाइडलाइन/शासनादेश के अनुसार अभिलेख तैयार कराने का सुझाव दिया गया।

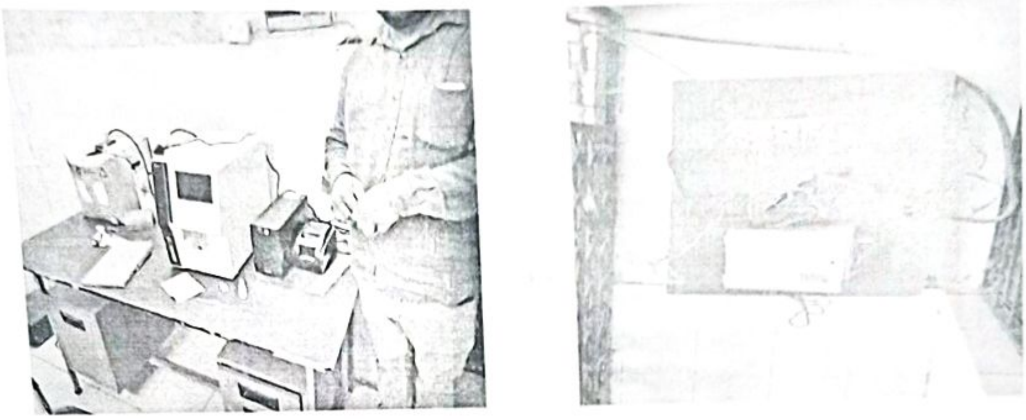

लैब में रखी अन स्टाल्ड सेल काउण्डर मशीन एवं खुल हुए विद्युत तार

7. **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , पिनाहट–**
   - चिकित्सालय में प्रवेश हेतु गेट एवं कैटिल क्रेचर टूटा हुआ पाया गया। गेट पर ही जलभराव पाया गया।
   - चिकित्सालयल में सफाई सन्तोषजनक नहीं पायी गयी।
   - प्रवेश द्वार पर पार्किंग हेतु कोई व्यवस्था नहीं तैयार की गयी है। बाइक बेतरतीब ढंग से खडी पायी गयी जिससे मरीजों को आने–जाने में दिक्कत हो रही थी।
   - दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को रजिस्ट्रेशन हेतु अलग से कोई काउण्टर नही बनाया गया है जिससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड रहा है।
   - चिकित्सालय परिसर में पुरानी आई.ई.सी. प्रदर्शित पायी गयी। लगे हुए आई.ई.सी. बोर्ड लटके हुए पाये गये जिन्हें सुव्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
   - अस्पताल के फार्मेसी स्टोर से दवा वितरण कक्ष से मरीजों को वितरित जाने वाली दवाओं का कोई अभिलेख नहीं पाया गया।
   - चिकित्सक के कक्ष के बाहर रोगियों को लाइन में लगने के लिए कोई प्रबन्धन नहीं पाया गया जिससे अव्यवस्था हो रही थी।
   - चिकित्सालय परिसर में ओपन हैंगिग वायर पाये गये तथा विद्युत बोर्ड टूटे पाये गये।

- टी.बी. प्रयोगशाला चिकित्सालय के बीच मे स्थापित है जहां मरीजों के स्पुटम कप एकत्र किये जाना पाया गया। जिससे सामान्य मरीजों में भी टी.बी. के संक्रमण का खतरा है। प्रयोगशाला में स्पुटम कलेक्शन को बाहर से खिडकी के माध्यम से सुरक्षित तरीके से किये जाने का सुझाव दिया गया।
- प्रत्येक टी.बी. मरीजों के ड्रग बाक्स उपलब्ध्ध नहीं पाये गये।
- प्राइवेट सेक्टर से टी.बी. का नोटिफिकेशन लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 25 प्रतिशत ही पाया गया जिसे बढाये जाने का सुझाव दिया गया।
- मात्र 57 प्रतिशत उपचार पूर्ण किये गये टी.बी. मरीजों के आउटकम को निःक्षय पोर्टल पर अद्यतन किया गया है।
- लैब में माइक्रोस्कोप का उपयोग नहीं किया जा रहा है। एल्ब्यूमिन की जांच हेतु रीजेन्ट उपलब्ध नहीं पाया गया।
- लैब में इलेक्ट्रोलाइट मशीन विगत 06 माह से क्रियाशील नहीं है। क्रियाशील कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में हेपेटाइटिस बी एवं सी के पॉजिटिव मरीजों के लिए कोई रजिस्टर तैयार नही किया जा रहा था।
- चिकित्सालय में उपलब्ध अभिलेखों को प्रमाणित एवं पेज नम्बरिंग नही किया जाना पाया गया। सुव्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम में न्यू बार्न बेबी कार्नर नहीं पाया गया। तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम के बाहर रिस्ट्रिेक्टेट एरिया डिमार्केशन नहीं पाया एवं शू रैक नहीं पाया गया।
- 7 ट्रे उपलब्ध थे किन्तु उपकरणाों को स्टरलाइज नहीं किया गया एवं प्रत्येक ट्रे में निर्धारित सूची के अनुसार उपकरण एवं दवाएं उपलब्ध नहीं पायी गयी।
- ब्लीचिंग सल्यूशन बनाये जाने एवं उपकरणों के स्टर्लाइजेशन तथा ऑटो क्लेव का विवरण अंकित किये जाने हेतु पृथक से कोई रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। नियमानुसार अभिलेख तैयार कराये जाने सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम में 02 लेबर टेबल उपलब्ध थीं किन्तु कैलिस पैड 01 ही पाया गया।
- प्रसव हेतु लेबर रुम में भर्ती महिलाओं की एच.आई.वी. हेपेटाइटिस बी, सिफलिस एवं वायरल मार्कर तथा ब्लड ग्रुप की जांच नहीं की जा रही है। समस्त जांचे सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- कंगॉरु केयर हेतु कक्ष आरक्षित था किन्तु कंगारु मदर केयर चेयर उपलब्ध नहीं पायी गयी। चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।

- एच.आर.पी. रजिस्टर नहीं तैयार किया जा रहा है।
- बी.एच.टी. (केस शीट) में समस्त कॉलम नहीं भरे जा रहे है। बी.एच.टी में रोगी के हस्ताक्षर तो कराये जा रहे है किन्तु कोई टिप्पणी नहीं दर्ज की जा रही है अर्थात् खाली पेज में हस्ताक्षर कराये जा रहे है।
- जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत मरीजो को दिये जाने वाले भोजन का रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। माह अक्टूबर के कॉलम खाली पाये गये। समस्त अभिलेख अद्यतन रखे जाने का सुझाव दिया गया।
- चिकित्सालय के अन्तर्गत 02 आर.बी.एस.के. वाहन अनुबन्धित होना बताया गया जिनकी लॉग बुक मांगे जाने पर मात्र 01 वाहन की लॉग बुक प्रस्तुत की गयी।
- आर.बी.एस.के कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत टीमों से अभिलेख मांगे जाने पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये। एक टीम के आयुष चिकित्सक द्वारा अवगत कराया गया कि टीम के पास म्यू टेप नहीं है।

लैब में रखी अक्रियाशील मशीन एवं मदर चेयर विहीन कंगारु कक्ष

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (AAM) बसई अरेला, पिनाहट–

- चिकित्सालय में औसतन प्रतिमाह 40 प्रसव, तैनात ए.एन.एम. द्वारा कराये जा रहे हैं किन्तु किसी चिकित्सक की तैनाती नही है। 01 स्टाफ नर्स की तैनाती 01 सप्ताह पूर्व की गयी है।
- लेबर रुम में निर्धारित ट्रे एवं ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध नहीं पाये गये।
- लेबर रुम में टैबल में मैट्रेस एवं कैलिस पैड नहीं पाया गया। टेबल में जंग लगा पाया गया। पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं पायी गयी।
- लेबर रुम से सम्बन्धित लेबर रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर आदि निर्धारित प्रारुप में नहीं तैयार किये जा रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार समस्त अभिलेख तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।

- दवाओं का रख–रखाव अव्यवस्थित पाया गया। सुव्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- बायो वेस्ट का नियमानुसार प्रबंधन किया जाना नहीं पाया गया।
- बाउण्ड्री वाल टूटी पायी गयी एवं चिकित्सालय का बोर्ड भी जंग लगा हुआ पाया गया।
- चिकित्सालय की ब्रांडिग नहीं पायी गयी।
- खुले विद्युत तार पाये गये जिन्हें व्यवस्थित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- ई.सी.आर.पी.–2 के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवनिर्मित भवन का हैण्ड ओवर मार्च 2024 में हो चुका है किन्तु अन्दर फर्श में लगे टाइल्स टूटे हुए पाये गये एंव समस्त टाइल हिल रहे है। वेण्डर द्वारा सप्लाई किये गये बेड एवं मैट्रेस इन्सटॉल नहीं किये गये एवं हॉल में अस्त–व्यस्त पडे हुए हैं।
- चिकित्सालय में गाइडलाइन/शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 102 एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को प्रदान की गयी सेवाओं से सम्बन्धित होम टू हॉस्पिटल एवं ड्रापबेक रजिस्टर तैयार नहीं किये जा रहे है। गाइडलाइन/शासनादेश के अनुसार अभिलेख तैयार कराने का सुझाव दिया गया।

बिना मैट्रेस एवं बिना कैलिस पैड के लेबर टेबल एवं ई.सी.आर.पी.–2 के अन्तर्गत नवनिर्मित भवन

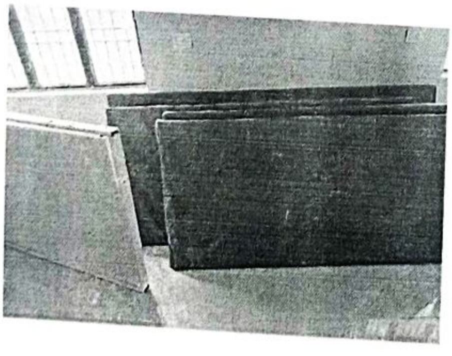

अस्त व्यस्त एवं अनस्टाल्ड बेड एवं ई.सी.आर.पी.–2 के अन्तर्गत नवनिर्मित भवन के हाल में टूटी टाइल

9. **आयुष्मान आरोग्य मंदिर, (AAM) मानिकपुर, पिनाहट–**

- सी.एच.ओ. धमेन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु अब तक भवन का निर्माण नहीं कराया गया है जिससे इसका संचालन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसई अरेला के पुराने भवन के कक्ष से ही किया जा रहा है। अधीक्षक सी.एच.सी. पिनाहट को भवन निर्माण की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- निर्धारित अभिलेख पूर्ण नहीं पाये गये।

दिनेश पाल सिंह
कार्यक्रम समन्वयक

अभिषेक यादव
कन्सल्टेट – एन.पी.